



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3123]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 9, 2017/कार्तिक 18, 1939

No. 3123]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 2017/KARTIKA 18, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2017

का.आ. 3563(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए “हरियाणा सरकार द्वारा विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत गठित हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण को, उसे होने वाली निम्न विशिष्ट आय के संबंध में एतद्वारा अधिसूचित करती है, यथा:—

- (क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के उद्देश्यों के लिए केंद्रीय प्राधिकरण अर्थात् राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) से प्राप्त अनुदान;
- (ख) हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान या दान;
- (ग) न्यायालय के आदेशों के तहत प्राप्त राशि;
- (घ) भर्ती आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त फीस; और
- (ङ) जमा राशि पर अर्जित व्याज आय।

2. यह अधिसूचना इस शर्त पर लागू होगी कि हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण;-

- (क) किसी अन्य वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- (ख) वित्तीय वर्ष में विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति व गतिविधि अपरिवर्तनीय रहेगी; और

(ग) यह आयकर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2015-2016 व 2016-2017 के लिए लागू समझी जाएगी एवं यह वित्त वर्ष 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 94 /2017/फा. सं. 300196/11/2016-आईटीए-1]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

व्याख्यात्मक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जात है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।